राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7(94)परि/नियम/मु./2023/10785 जयपुर दिनांकः 14.07.2023

कार्यालय आदेश संख्या 19/2023

खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थो के परिवहन करने वाले वाहनों के चालको को दिये जाने प्रशिक्षण हेतु संस्थानो के लिए दिशा–निर्देश

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के अन्तर्गत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालको को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः उक्त प्रशिक्षण संस्थानो को अधिकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. परिभाषाएंः–

"**अधिनियम**" से तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 से है,

"**नियम** " से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 एवं राजस्थान मोटर यान नियम 1990 से है।

"**प्रशिक्षण संस्थान**" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के अन्तर्गत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालको को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से है।

"**प्रशिक्षण प्रमाण पत्र**" से तात्पर्य है केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के प्रावधानो के तहत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालको को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र से है।

"**प्राधिकार पत्र**" से तात्पर्य है केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के अन्तर्गत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालको को दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा संस्थान को अधिकृत किये जाने हेतु जारी अनुज्ञप्ति से है।

"**रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी**" से तात्पर्य है केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के प्रावधानो के तहत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालको को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थानो को अनुमत किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी **संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी** होगे।

"**अपीलीय प्राधिकारी**" से तात्पर्य है रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध की जाने वाली अपील के लिए नियुक्त प्राधिकारी से है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान हेतु अपीलीय प्राधिकारी **परिवहन आयुक्त** होगें।

2. **प्रशिक्षण संस्थान को अधिकृत किये जाने की प्रक्रिया** :– केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के अन्तर्गत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालको को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संस्थान को प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अधिकृत किया जायेगा। इस हेतु नवीन प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना के लिए आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष

इन नियमो के अधीन प्रारूप 1 मे निर्धारित शुल्क 10,000/–रूपये भुगतान की रसीद संलग्न कर आवेदन किया जायेगा।
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आवेदक को प्रशिक्षण संस्थान हेतु अनुगत किये जाने से पूर्व संस्थान द्वारा समस्त प्रावधानों की पालना की जांच कर संतुष्ट होने पर संस्थान को प्राधिकार पत्र (प्रारूप–2) जारी किया जायेगा।

प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि 5 वर्ष की होगी एवं इसके उपरान्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र का प्रत्येक 2 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा।

3. प्रशिक्षण संस्थान पर कार्यरत अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यताः–

1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा या राजस्थान प्रावधायिक शिक्षा मण्डल जोधपुर द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान मे स्नातक/स्नाकोतर/इंजीनियरिंग डिप्लोमा/इंजीनियरिंग ड्रिग्री अथवा रसायन विज्ञान में स्नाकोतर के समकक्ष अन्य कोई योग्यता अथवा इससे उच्चतर अर्हता।
2. मोटर वाहन अधिनियम की शिड्यूल में वर्णित यातायात चिन्हों का ओर धारा 118 के अधीन बनाये गये रोड रेगूलेशन का पूर्ण व अद्यतन ज्ञान।
3. मोटर वाहन के विभिन्न संघटकों, कल–पुर्जों के कृत्यो व उनकी कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने की पर्याप्त योग्यता।
4. अंग्रेजी अथवा हिन्दी व क्षेत्रीय भाषा का पूर्ण ज्ञान।
5. भारी वाहनों को चलाने हेतु परिवहन यान श्रेणी की चालन अनुज्ञप्ति और कम से कम 3 वर्ष का चालन अनुभव हो।
6. IOCL/ BPCL/HPCL आदि पेट्रोलियम कम्पनियों में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव अथवा पूर्व में राजस्थान राज्य/ अन्य राज्य से अधिकृत किसी मान्यता प्राप्त खतरनाक एवं ज्वलनशील प्रशिक्षण संस्थान से 5 वर्ष का अनुभव

4. प्रशिक्षण संस्थान पर कार्य करने वाले कार्मिकों का विवरण :–

(i) न्यूनतम एक अनुदेशक
(ii) न्यूनतम एक आई.टी. कार्मिक
(iii) एक सफाईकर्मी

5. प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवश्यक भवन–

कक्षों की न्यूनतम संख्या	कक्षों का क्षेत्रफल एवं विवरण
1. स्वागत कक्ष कम कार्यालय कक्ष जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर मय प्रिन्टर इत्यादि।	आवश्यकतानुसार
2. अध्ययन कक्ष (न्यूनतम 1 कक्ष)	प्रत्येक कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट होना अनिवार्य है, इस कक्ष में न्यूनतम 20 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने हेतु अपेक्षित फर्नीचर रखना होगा।
3. मूलभूत सुविधाएं	पुरूष एवं महिला प्रशिक्षार्थियों के अनुसार पर्याप्त एवं पृथक–पृथक।

नोटः– प्रशिक्षण संस्थान का भवन संस्थान के स्वयं का हो या किराये या लीज पर लिया गया हो तथा परिसर अगर किराये/लीज पर लिया गया हो तो किरायानामा/लीज की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होगी।

6. **प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम उपकरण, मॉडल्स, चार्ट इत्यादि जो प्रशिक्षण संस्थान में आवश्यक है**

1. ब्लैक बोर्ड।
2. आवश्यक संकेतों के साथ एक रोड प्लान बोर्ड।
3. ट्रैफिक साईन चार्ट।
4. ऑटोमेटिक सिगनल्स का चार्ट एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ से दिये जाने वाले सिगनल्स के चार्ट।
5. मोटर यान के सभी कम्पोनेन्ट विवरण प्रदर्शित करने वाला सर्विस चार्ट।
6. ड्राईविंग इन्स्ट्रक्शन मैन्युअल।
7. आवश्यकतानुसार कुर्सी, टेबिल, बैंच आदि फर्नीचर।
8. रसायन विज्ञान से संबंधित नियमों का संग्रह, ऑटोमोबाईल मेकेनिज्म, ड्राईविंग, रोड सेफ्टी, रोड एण्ड ट्रेफिक रेगूलेशन, मोटर व्हीकल लॉ एवं अन्य संबंधित किताबों, अधिसूचनाओं, विभागीय परिपत्रों का अद्यतन संग्रह।
9. आपात काल हेतु पर्याप्त अग्निशमन, यन्त्र, फर्स्ट एड बॉक्स आदि व्यवस्था।

आवेदन फीस एवं सिक्योरिटी फीसः– संस्थान को अधिकृत किये जाने हेतु आवेदन फीस 10,000/–रूपये होगी एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रति संस्थान 25,000/–रूपये सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करवाये जायेगे।

7. **प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रशिक्षणार्थियों हेतु शुल्क :–**तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थी से अधिकतम 2000 रू की शुल्क राशि वसूल की जा सकेगी, जिसका भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से लिया जायेगा।

8. **प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का पाठयकम :–**

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 में वर्णित पाठयकम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं अनुदेशक को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 129 से 137 में उल्लेखित नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए एवं प्रशिक्षणार्थी को भी इन नियमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

9. **प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी के लिए प्रशिक्षण संस्थान की मॉनिटरिंग हेतु प्रावधान–**

1. अधिकृत संस्थान से की नियमित रूप से जांच 6 माह में न्यूनतम एक बार संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा एवं एक बार जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
2. प्रशिक्षण संस्थान पर कार्यरत अनुदेशक की योग्यता के आधार पर एवं अन्य कार्मिको की सूचना संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

3.अनुदेशक की नियुक्ति अथवा परिवर्तन उसकी योग्यता के आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करने के उपरान्त दस्तावेजो का परीक्षण कर आदेश जारी किये जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

10. अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली के संबंध में दिशा–निर्देश–

1. प्रशिक्षण संस्थान में जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर रहा है, उनका विवरण प्रतिमाह 10 तारीख से पूर्व ई–मेल के द्वारा लाईसेंसिंग अधिकारी एंव संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को निम्न तालिका में भेजना सुनिश्चित करेगें:–

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	प्रशिक्षण की अवधि		सफल/असफल	प्रशिक्षण अपूर्ण	जारी प्रमाण पत्र संख्या
		दिनांक से	दिनांक तक			

2. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के चाहने पर उसके अवलोकन हेतु प्रशिक्षण संस्थान संबंधी समस्त रिकॉर्ड, रजिस्टर आदि अविलम्ब उपलब्ध कराये जायेगें।
3. प्रशिक्षण संस्थान पर अनुदेशक एवं आई.टी कार्मिकों का नाम योग्यता संबंधी विवरण सदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा।
4. विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।
5. सडक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु सदैव तत्पर रहना एवं इस हेतु समग्र रूप से योगदान करना विशेष रूप से अपेक्षित होगा।
6. परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सडक सुरक्षा संबंधी फिल्म/डॉक्यूमेन्ट्री व अन्य प्रोग्राम का प्रदर्शन प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण संस्थान के संचालक द्वारा उसके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियो की सूची प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी।
8. संचालक द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्राप्त की गई फीस के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षणार्थी का नाम, पता, प्रशिक्षण का विवरण एवं ली गई फीस का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण हेतु प्राप्त की गई फीस के संबंध में रसीद भी जारी की जायेगी।
9. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आवश्यक पाठ्यसामग्री, किताबे एवं मैग्जीन आदि पृथक से लाईब्रेरी रूम या पारदर्शी अलमारी में इस प्रकार रखी जायेगी कि प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो सके।

11. **प्रशिक्षण संस्थान को निलंबित या निरस्त करने की शक्तिः–** अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों को मोटर यान अधिनियम, 1988 व इसके अधीन बने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 व राजस्थान मोटर

यान नियम, 1990 के प्रावधानों की पालना की जायेगी एवं इनमे किये गये संशोधन प्रशिक्षण केन्द्रो पर समान रूप से लागू रहेगें।

अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान यदि मोटर वाहन नियमों की पालना करने में असफल रहता है अथवा इस आदेश मे उल्लेखित प्रावधानों की पालना करने में असफल रहता है अथवा स्कीम में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की अनुपालना करवाने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा संचालक को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रशिक्षण संस्थान की अमानत राशि जब्त/निलंबन/निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्राधिकार पत्र धारक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निलंबन एवं निरस्त की अवधि में किसी प्रकार का प्रशिक्षण नही दिया जायेगा।

12. **पूर्व से अधिकृत संस्थानों के लिए दिशा–निर्देशः**–राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अधिकृत संस्थानों को तीन माह के भीतर उक्त दिशा–निर्देश की पूर्ति कर संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर प्राधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त तीन माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात पूर्व से अधिकृत संस्थान स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। इस अवधि के पश्चात रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देते हुए पूर्व से जारी प्रशिक्षण संस्थानों की अनुमति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के अन्तर्गत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालको को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को लेकर समय पर आने वाली कठिनाईयों के निवारण के संबंध में समय समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश योजना के ही भाग होगें।

संलग्नः–1. प्रारूप–1 2. प्राधिकार–पत्र 3. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

क्रमांकः एफ 7(94)परि/नियम/मु./2023/10786–92 **जयपुर दिनांकः 14.07.2023**

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

FORM OF APPLICATION FOR LICENCE TO ENGAGE IN IMPARTING INSTRUCTIONS IN DANGEROUS & HAZARDOUS GOODS DRIVER'S TRAINING INSTITUTE

To

The Regional Transport Officer,
.....

Affix Photo of Applicant with Signature

The undersigned hereby applies for obtaining a licence of imparting instructions in dangerous & hazardous goods driver's training institute for 3 day training course (Rule 9 of CMVR, 1989)

1. Name of Institute : .....
2. Institute Address : .....
3. Institute Campus is owned/rented/lease agreement: .....
4. Full name of the Applicant: .....
5. Applicant Address: .....
6. Full name of the Instructor: .....
7. Qualification of Instructor: .....
8. Instructor's Driving Licence Detail: .....
9. Experience of Instructor: .....
10. I have paid the fee of Rs. :

Date:

Seal & Signature of the Applicant

Authorization Letter for Dangerous & Hazardous Goods Training

[See CMVR rule 9]

Licence.No.: Dated :

.....(Institiute name & address) is hereby authorised to impart 3 days training Program of drivers carrying dangerous & hazardous goods, as prescribed by the department, required under rule 9 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

This Authorisation letter is valid from **..... to .....**

Date: .....

Regional Transport Officer

This Authorisation letter is renewed from .....to.....

Date .....

Regional Transport Officer

Certificate No.

Affix Photograph with Signature

..... (Center Name)

Transport & Road Safety Department,

Government of Rajasthan

This is Certify that Mr. .....S/o .....R/O.....Driving Licence No. ..... has attended training on " DRIVERS CARRYING DANGEROUS & HAZARDOUS GOODS" Rule 9 of CMVR, 1989 for the three days training program conducted from .....to .....is declared successful in the theoretical and practical tests conducted by the institute at .....(Center name & address).

Seal

Date

(Name & Sign)

Authorised Signatory

(Name & Sign)

Instructor